

न्यायालय उपखण्ड, अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापूर सिटी  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प उदेई कलॉ

—:आदेश:—

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी उदेई कलॉ भू-पि. गंगापूर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार गंगापूर सिटी की अनुशांसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम उदेई कलॉ 'स' तहसील गंगापूर सिटी व जिला सवाई माधोपुर की जमाबन्दी सम्वत 2069-72 में खाता संख्या 195 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

कं. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकोर्ड में दर्ज की जानी है)
1	उदेई कलॉ 'स'	195	काडू रामेश्वर रमेश सुखचंद पि लाल्या भौरी बेबा लाल्या	काडू पि. लाल्या हि. 1/5 रमेश्वर पि. लाल्या हि. 1/5 रमेश्वर लाल्या हि. 1/5 सुखचंद पि. लाल्या हि. 1/5 भौरी बेबा लाल्या हि. 1/5 ( खाते में दर्ज अन्य प्रविष्टियाँ यथावत रहेगी )

(मुनिम)

पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहा.कलेक्टर गंगापूर सिटी

दिनांक 14/11/2015

क्रमांक:- 1006-08

प्रतिलिपि:-

- 1.तहसीलदार गंगापूर सिटी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. रक्षित पत्रावली।

25  
14/11/15

(मुनिम)

पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहा.कलेक्टर गंगापूर सिटी

'राजस्व लोक अदालत अभियान-2015'

पञ्च 289  
14.7.15

पटवारी हल्का पटवार मंडल ...

श्रीमान् तहसीलदार महोदय,  
गंगापुर सिटी ।

विषय :- जमाबंदी ग्राम ... संवत् 2069-72 के खाता संख्या- 195 में हिस्सा दर्ज करने बावत्।

महोदय,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम ... पटवार हल्का ... के खाता संख्या 195 संवत् 2069-72 की खातेदारी ... के

नाम दर्ज है। उक्त खाता में दर्ज प्रविष्टियों में खातेदारों के मध्य हिस्सा दर्ज नहीं है। अतः खाता संख्या 195 में खातेदारों के मध्य

... के मध्य ...

हिस्सा दर्ज किया जाना उचित होगा। रिपोर्ट श्रीमान् जी की सेवामें पेश है।

पटवारी हल्का ...  
14/7/15  
...

जॉच भू अभिलेख निरीक्षक

रिपोर्ट पटवारी हल्का का अवलोकन किया गया। जमाबंदी की प्रविष्टियों की जॉच की गई। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार संवत् 2069-72 खाता संख्या 195 में खातेदारों के मध्य

... के मध्य ...

अनुसार हिस्सा दर्ज किया जाना उचित है।

भू अभि० निरी०, ...  
14/7/15

कार्यालय तहसीलदार, गंगापुर सिटी

क्रमांक-रा०लो०अदा०/15/

दिनांक- 14.7.15

पटवारी हल्का द्वारा प्ररतुत रिपोर्ट एवं जॉच रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक सहखातेदारों के मध्य जमाबंदी संवत् 2069-72 के खाता संख्या- 195 में रिपोर्ट के अनुसार संशोधन किया जाना उचित है।

तहसीलदार (भू अ.)  
गंगापुर सिटी

लोक अदालत कैम्प... ~~कम उडेईकला~~

14-7-15

हल्का पटवारी उडेईकला ने ग्राम उडेईकला से जमावडी  
संवत् 2069-72 के खाता संख्या 195 में दर्ज खातेदारों के मध्य हिस्सा  
दर्ज करी का निवेदन दिया है। एलए व तहसीलदार गंगापूर सिने ने  
उक्त संशोधन की अनुशंसा की है। उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर  
ग्राम उडेईकला से जमावडी संवत् 2069-72 के खाता संख्या 195 में  
दर्ज खातेदार काडू, रामेश्वर, रमेश, सुखचंद - पि० लाल्या व  
भोरी केवा लाल्या के मध्य 45-45 हिस्सा दर्ज करने से शोध  
दिया जा रहा है पालना हेतु एलए व तहसीलदार के लिखा जावे।

कम उडेईकला